

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

--: मंत्रालय ::--

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

1287

क्रमांक /सी.एस.एस./ब-4/चार,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27/06/2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

समस्त विभागाध्यक्ष

छत्तीसगढ़

विषय :- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राशि विमुक्ति की संशोधित प्रक्रिया।


संदर्भ :- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालयीन ज्ञापन एफ क्र.1(13)/पीएफएमएस/ एफसीडी/2020 दिनांक 21.06.2022.

-----000-----

भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन एफ.क्र.1(13)/पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23.03.2022 में उल्लेखित बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण किये जाने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय मंत्रालय / विभागों द्वारा योजनांतर्गत प्रथम किश्त विमुक्त किये जाने का लेख है। संदर्भित कार्यालयीन ज्ञापन द्वारा भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 23.03.2022 के बिंदु क्र. (v) हेतु शुद्धिपत्र जारी किया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी संदर्भित ज्ञापन संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(ऋषभ पराशरी)
27/06/2022

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27/06/2022

1288

क्रमांक /सी.एस.एस./ब-4/चार,

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. समस्त विशेष सचिव/अपर सचिव/संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
5. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
6. संयुक्त महालेखा नियंत्रक, पी.एफ.एम.एस. राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ
7. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु।


(चन्द्र प्रकाश पाण्डेय)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

F. No. 1(13)/PFMS/2020
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block,
New Delhi, 21st June, 2022

CORRIGENDUM


Subject: Procedure for release of funds under Centrally Sponsored Schemes (CSS) and monitoring utilization of the funds released.

In continuation of this Department's OM of even number dated 23rd March, 2022 with the approval of the Competent Authority, the undersigned is directed to convey that Point No. (v) of the said OM may be read as

"Funds available in the bank account of SNA should not be more than the 1st installment of Central share likely to be released to a State in 2022-23 including corresponding State share."

Instead of

"Funds available in the bank account of SNA should not be more than 25% of the amount likely to be released under a CSS to a State in 2022-23."



(Rabi Ranjan)
Deputy Director
Tel. No. 2305672

To

1. All Secretaries to the Government of India
2. All Financial Advisers to the Government of India
3. All Pr. CCAs/CCAs of all Ministries/Departments

Copy for information to:

1. Chief Secretaries of all State/UTs
2. Finance Secretaries of all State/UTs
3. PSO to Finance Secretary & Secretary (Expenditure)
4. PPS to CGA
5. PSO to Special Secretary (Pers.)
6. Sr. PPS to AS (PFC-II)
7. Sr. PPS to AS (PFS)


OSD (1)
22/06


22/06/22